राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 148/2020

जगदीश पुत्र श्योदान उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी राजपुरा उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.........आवेदक

– बनाम –

1. अनीता पुत्री तुलसीराम पत्नि बलबीर जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
2. अशोक पुत्र तुलसीराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. श्रवण देवी पत्नि तुलसीराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. सुमन देवी पुत्री तुलसीराम पत्नि धर्मवीर जाति जाट निवासी पालोतातहसील बुहाना
5. सरजीत पुत्र तुलसीराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
6. बजरंग पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. भागीरथ पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
8. मालाराम पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
9. रघुवीर पुत्र होशियारसिंह जाति जाट निवासी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
10. मीरा पुत्री होशियारसिंह जाति जाट पत्नि राकेश निवासी बास बिशना तन भाटीवाड तहसील .
11. भगवानी पत्नि होशियारसिंह जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
13. उप–तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –
1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – आवेदकगण की ओर से ।
2. श्री मुकेश चौधरी , अधिवक्ता अनावेदक स. 2 लगायत 5 की ओर से
3. श्री महावीर चौधरी , अधिवक्ता अनावेदक स. 6 लगायत 11 की ओर से ।
4. शेष के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 25/3/22

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया कि:–

1. यह कि आवेदक की खातेदारी की भूमि ... रकबा 2.10 है. ग्राम राजपुरा उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित है इस भूमि में आवेदक ने कूप बना रखा है विधुत कनेक्शन ले रखा है ... अपनी खातेदारी ... को कास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करता है इस भूमि में आवेदक का 1/4 हिस्सा दर्ज है लेकिन बाहमी बंटवारा में यह सम्पूर्ण भूमि आवेदक के हिस्से में आई हुई है।

2. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 103 के पश्चिम में ख.न. 102 रकबा 1.32 है स्थित है जो अनावेदक सं. 7 लगायत 11 की खातेदारी की है खातेदार लाडो देवी की मृत्यु हो चुकी अनावेदक सं. 7 लगायत 11 उसके वारीस है खातेदार होशियारसिंह की मृत्यु हो चुकी है अनावेदक सं. 9 लगायत 11 उसके वारीस है। जिस पर अनावेदक सं. 12 से ऋण ले रखा है तथा ख.न. 102 के पश्चिम में ख.न. 100 रकबा 1.26 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 6 के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर अनावेदक सं. 12 से ऋण ले रखा है तथा ख.न. 100 के पश्चिम में ख.न. 99 स्थित है वह भी अनावेदक सं. 6 के नाम है जिस पर भी अनावेदक सं. 12 से ऋण ले रखा है तथा ख.न. 99 के पश्चिम में ख.न. 98 रकबा 1.75 है. स्थित है जो अनावेदक सं. 1 लगायत 5 के नाम खातेदारी में दर्ज है ख.न. 98 की पश्चिमी सीमा से सटकर कटानी रास्ता स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में कटानी है जिसके ख.न. 35 है इस प्रकार आम रास्ता ख.न. 35 से आवेदक की भूमि ख.न. 103 के मध्य अनावेदक सं. 1 लगायत 11 की भूमि पड़ती है तथा आवेदक व अनावेदकगण की भूमि के दक्षिण में दूसरे गांव घरडाना खुर्द की सीमा लगती है।

3. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 103 रकबा 2.10 है. के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नही है। आवेदक के लिए ख.न. 98, 99, 100, 102 के अलावा अन्य स्थान से कोई रास्ता नही है तथा ख.न. 99 एवं 100 व 102 के लिये भी रास्ता नही है लेकिन ख.न. 99 एवं 100 व 102 के खातेदार इस बाबत सहमत है कि ख.न. 103 के लिए ख.न. 98 से ख.न. 99 एंव ख.न. 100 व 102 मे से रास्ता कायम कर दिया जावे जिससे ख.न. 99 व 100 व 102 के लिये भी रास्ता उपलब्ध हो जायेगा एवं वे ख.न. 99 व 100 व 102 मे से जो भूमि रास्ता के रूप में काम आयेगी उसके बदले ना तो भूमि की मांग करते है ना ही वे डी.एल.सी.दर की दोगुनी राशी की मांग करते है। अर्थात ख.न. 99 , 100, 102 मे से अनावेदक सं. 6 लगायत 11 बिना किसी कोस्ट/क्षतिपूर्ति के रास्ता के लिये सहमत है। प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ पेश है जो आवेदन पत्र का भाग रहेगा।

4. यह कि भूमि ख.न. 103 व ख.न. 99 व 100 एवं 102 के लिये रास्ता नही होने से आवेदक का ख.न. 103 में अपनी फसल कास्त करने काटने लाटने कृषि उपज को बाजार में बेचान करने अपनी कृषि भूमि व उसमे स्थापित विधुत कनेक्शन के उपयोग में बाधा कारित होती है ना तो उंट गाडा , ट्रक्टर आदि जा सकते है ना ही फसल कास्त होती है ऐसी स्थिति में आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

5. यह कि आवेदक ख.न. 98 के खातेदारों को उनकी रास्ता के काम आने वाला रकबा के बदले डी.एल.सी.दर की दौगुनी राशी का भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है तथा धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने को तैयार है।

6. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवाद [illegible] की भूमि ख.न. 103 के लिये रास्ता नही होने एवं आवेदक को ख.न. 98 से ख.न. 99 [illegible] ख.न. 99 से ख.न.100 तक एवं ख.न. 100 से ख.न. 102 तक [illegible] ख.न. 102 से [illegible] 103 तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता की आवयकता होने से पैदा हुआ [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 148/2020
जगदीश बनाम अनिता आदि
निर्णय दिनांक 25/3/22

यह कि आवेदक की भूमि ग्राम राजपुरा में स्थित है तथा ख.न. 98 एवं ख.न. 99 व 100 एवं 102 की भूमि भी ग्राम राजपुरा में स्थित होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

8. यह कि अनावेदक सं. 12 से अनावेदकगण ने ऋण ले रखा है लेकिन रास्ता के काम आने वाले रकबा के अलावा उनका शेष रकबा बचा रहता है इसलिए अनावेदक सं. 12 अनावेदकगण के शेष रकबा से अपने ऋण की वसूली करने में समक्ष है तथा रास्ता के काम आने वाला रकबा रहन से मुक्त कर राजकीय गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने योग्य है।
9. यह कि अनावेदक सं. 12 से अनावेदकगण ने ऋण ले रखा है तथा अनावेदक सं. 13 व 14 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
10. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।
11. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

(क) कि वाके ग्राम राजपुरा उप–तहसील सिंघाना तहसील बुहाना स्थितभूमि ख.न. 35 आम रास्ता से ख.न. 98 की दक्षिणी सीमा के सहारे –सहारे एवं ख.न. 99 , ख.न. 100 एवं ख. न. 102 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उपरोक्त भूमि में से नजरी नक्शा मे दर्ज प्रस्तावित नक्शा के अनुसार आवेदक की भूमि ख.न. 103 तक 13 फीट चौड़ा (4 मीटर) रास्ता कायम किया जाकर उक्त रास्ता का सीमाकंन एवं मापन कर मौके पर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में इसे गै.मु.रास्ता दर्ज कर अलग से रास्ता के ख.न. कायम किये जाने की कृपा करे ख.न. 98 के खातेदार अनावेदक सं. 1 लगायत 5 की रास्ता के काम आने वाले रकबा के बदले आवेदक डी.एल.सी.दर की दौगुनी राशी का भुगतानकरने को तैयार एवं तत्पर है तथा रास्ता के काम आने वाले रकबा के अलग से ख.न. कायम कर उसे रहन मुक्त किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई जिसमें से अनावेदक स. 2 लगायत 5 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया कि :–

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 1 में दर्ज भूमि ख.न. 103 रकबा 2.10 है. में आवेदक का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार शेष अस्वीकार है शेष खातेदारों का भी इस भूमि में हिस्सा है।
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 2 में आवेदक की भूमि ख.न. 103 को पश्चिम में 102, 100, 99 होना स्वीकार है तथा ख.न. 98 के खातेदार अनावेदक सं. 1 से 5 होना भी स्वीकार है तथा आवेदक व अनावेदक भूमि के दक्षिण में दुसरे गांव घरडाना की सीमा लगती है यह भी स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। अनावेदक सं. 6 की भूमि ख.न. 99 के दक्षिणी सीमा तक गांव घरडाना ... रास्ता है जो खसरा नम्बर जो रिकार्ड में दर्ज है जिसके ख.न. 173 है उक्त रास्ता अनावेदक सं. 6 की भूमि ख.न. 99 की सीमा से शुरू होकर दक्षिण ... भूमि ... होता हुआ घरडाना खुर्द की ओर जाता है जो वर्तमान में रास्ता दर्ज है ... के दोनों तरफ अन्य खातेदार जो घरडाना खुर्द के है उनकी भूमि ... पश्चिम में ख.न. 170 है ओर इस रास्ते के पूर्व में ख.न. 176 की भूमि लगती है दोनों के बीचों बीच उक्त रास्ता ख.न. 99 की सीमा तक है। इसी रास्ते से ख.न. 99, 100, 102 व स्वयं आवेदक आवागमन करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 3 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है आवेदक की भूमि के दक्षिण में ग्राम घरडाना खुर्द की सीमा लगती है जहां से एक रास्ता ख.न. 99 की सीमा तक है जो राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज है जिसके ख.न. 173 है उक्त रास्ता अनावेदक सं. 6 की भूमि ख.न. 99 से शुरू होकर आगे घरडाना खुर्द को जाता है यह से आवेदक व अनावेदक सं. 6 लगायत 11 आवागमन करते है जब ख.न. 99 , 100, 102 के खातेदार अपनी भूमि में से रास्ता देने के लिए सहमत है तो ख.न. 98 से रास्ता लेने की आवश्यकता नही है क्योकि ख.न. 99 दक्षिण सीमा पर घरडाना खुर्द से एक कटानी रास्ता है जो रिकार्ड में भी दर्ज है जो घरडाना खुर्द से अनावेदक सं. 6 की भूमि ख.न. 99 तक है उसी रास्ते से होते हुए अनावेदक सं. 6 लगायत 11 व आवेकद स्वयं आवागमन करते है तथा ख.न. 99, 100, 102 के खातेदार रास्ता देने में सहमत है तथा कोई क्षतिपूर्ति राशी भी नही ले रहे है तो ख.न. 99, 100, 102 मे से रास्ता निशुल्क आवेदक ले सकता है जो आगे चलकर ख.न. 99 से दक्षिण सीमा से गांव घरडाना खुर्द को जाता है वही से आवागमन कर रहे है आवेदक की भूमि तक रास्ता अनावेदक सं. 5 की भूमि से भी नजदीक होने के पश्चात भी जान बुझकर अनावेदक के ख.न. 98 मे से रास्ता कायम करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है।

4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 4 जिस भाती दर्ज है अस्वीकार है ख.न. 99 के दक्षिण में एक कटानी रास्ता है जो ख.न. 99 तक आता है ओर आगे ग्राम घरडाना खुर्द को जाता है ख.न. 99, 100, 102 व स्वयं आवेदक भी इसी रास्ते से आवागमन करता है तथा उक्त रास्ता ही आवेदक की भूमि के सबसे नजदीक व सुगम रास्ता है लेकिन आवेदक ने जानबुझकर यहा से रास्ते के लिए आवेदन न करके अनावेदक की भूमि ख.न. 98 में से रास्ता के लिए आवेदन किया है जो खारीज होने योग्य है जब आवेदक के पास नजदीक में रास्ता उपलब्ध है तो दुरी से रास्ता दिया जाना सम्भव नही है स्वयं आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में स्वीकार किया है कि ख.न. 99, 100, 102 के खातेदार निशुल्क रास्ता देने के लिए सहमत है कोई क्षतिपूर्ति नही ले रहे है तो फिर ख.न. 99 की दक्षिणी सीमा तक घरडाना खुर्द से एक कटानी रास्ता है जिसके ख.न. 173 है जो ग्राम घरडाना खुर्द से होता हुआ ख.न. 99 की सीमा तक है इसलिए आवेदक को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है क्योकि ख.न. 99, 100, 102 आवेदक को बिना राशि रास्ता देने को सहमत है और ख.न 99 के दक्षिण तरफ रास्ता कटानी मौजूद है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 5 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है आवेदक के पास ख. न. 99 के दक्षिण तरफ कटानी रास्ता मौजूद है जो घरडाना खुर्द की तरफ जाता है तथा ख.न. 99, 100, 102 के खातेदार आवेदक को बिना प्रतिफल के रास्ता देने को तैयार है इसलिए आवेदक के पास पहले से ही रास्ता उपलब्ध है ख.न. 99 के दक्षिणी सीमा तक ग्राम घरडाना से एक रास्ता कबन दर्ज है जिसके ख.न. 173 दर्ज है जो ग्राम घरडाना खुर्द स्थित भूमि ख.न. 170, व 176 के मध्य से गुजरता है व ख.न. 99 तक आता है उससे आगे आवेदक ख.न. 99, 100, 102 की भूमि से आवागमन कर सकता है कि अनावेदक सं. 6 लगायत 11 निशुल्क रास्ता देने को सहमत है। अनावेदक सं. 1 से 5 जवाब के साथ नजरी नक्शा पेश कर रहे है जिसमें आवेदक के लिए जो कटानी रास्ता मौजूद है और सबसे नजदीक है। उसको दर्शाया गया है जो जवाब का भाग है।

6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 6 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है आवेदक के लिए ख. न. 99 के दक्षिणी सीमा पर रास्ता कटानी मौजूद है जो ग्राम राजपुरा ख.न. 99 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:50 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दक्षिणी सीमा से शुरू होकर ग्राम घरडाना खुर्द में जाता है ख.न. 99, 100, 102 के खातेदार अनावेदक सं. 6 से 11 आवेदक को निशुल्क रास्ता देने को तैयार है इसलिए अनावेदक से रास्ता लेने की आवेदक को आवश्यकता नही है आवेदक ने जान बुझकर अनावेदक सं. 6 लगायत 11 की भूमि ख.न. 99 के दक्षिणी सीमा पर रास्ता मौजूद है उसी जगह से आवेदक अपनी भूमि ख.न. 103 तक आवेदक रास्ता कायम करवा सकता है तथा आवेदक के लिए यही रास्ता सबसे नजदीक लगता है आवेदक ने जानबुझकर रंजिशवश अनावेदक सं. 1 से 5 की भूमि ख.न. 98 में से रास्ता लेना चाहा है जिसका उसे कोई अधिकार नही है अनावेदक सं. 1 से 5 अपनी भूमि ख.न. 98 में जोजोबा के पोधे आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व में लगाये है जिससे बायोमेट्रीक तेल बनता है जिसका उपयोग काफी काम में आता है जिसकी किमत कई लाखों रूपयें में है उक्त पोधों की उम्र करीब 200 वर्ष है उक्त खेती को राजस्थान व भारत सरकार बढावा देती है अनावेदकइस खेती का उपयोग 20 वर्षो से कर रहे है वहा पर ड्रीप सिस्टम लगाकर कई लाखों रूपये खर्च कर रखे है जिसकी किमत 350/प्रतिकिलो के हिसाब से बाजार में बिकता है तथा इसकी पैदावार हर साल होती रहती है। आवेदक इस बात से रंजिश रखते है तथा जबरन आवेदक की भूमि से 4 मीटर रास्ते में के लिए आवेदन किया है जिससे काफी जोजोबा के पेड़ उखाड़ने पड़ेगे व अनावेदक को 10 लाख रूपये का नुकसान हो जायेगा। जबकि आवेदक के पास ख.न. 99 के दक्षिण सीमा में घरडाना खुर्द से एक कटानी रास्ता मौजूद है जिसके ख.न. 173 है जो ख.न. 99 के दक्षिणी सीमा तक मौजूद है फीर भी आवेदक जान बुझकर अनावेदक सं. 1 से 5 की भूमि ख.न. 98 से रास्ते की मांग मात्र इसलिए कर रहे है कि अनावेदक के जोजोबा के पौधे जिससे अनावेदक को लाखों रूपये की पैदावार होती है उसको नुकसान हो सके। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है।

7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 7 में भूमि राजपुरा में होना स्वीकार है।
8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 8 अस्वीकार है अनावेदक सं. 1 से 5 की भूमि में से कोई रास्ता कायम नही किया जा सकता है जबकि आवेदक के पास ख.न. 99 के दक्षिणी सीमा के पास से रास्ता कटानी मौजूद है। तथा ख.न. 99, 100, 102 के खातेदार अनावेदक सं. 6 से 1 आवेदक को निशुल्क रास्ता देने के लिए सहमत है इसलिए आवेदक ख.न. 99 के दक्षिणी तरफ ग्राम घरडाना खुर्द में ख.न. 173 गैर मुमकिन रास्ता से अपनी भूमि पर आसानी से आवागमन कर सकता है तथा आवेदक की भूमि से यही रास्ता दुरी में सबसे कम है इसलिए आवेदक मात्र अनावेदक सं. 6 से 11 की भूमि ख.न. 99, 100, 102 में से घरडाना खुर्द स्थित रास्ता ख.न. 173 तक रास्ता ले सकता है।
9. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 9 स्वीकार है।
10. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 10 बाबत कोर्ट फीस है जिसके उतर की आवश्यकता नही है।
11. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 11 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

अतिरिक्त उत्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

12. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 103 के लिए [illegible] ग्राम रास्ता ख.न.99 के दक्षिणी सीमा तक ग्राम घरडाना खुर्द से एक [illegible] ग्राम घरडाना खुर्द व रायपुर की सीमा तक स्थित है जो आगे [illegible] घरडाना खुर्द को जाता है जिसके आस पास काफी मकान भी बने है उक्त [illegible] सबसे नजदीक है तथा आवेदक के अनुसार ख.न. 99, 100, 102 के खातेदार आवेदक से रास्ते के बदले में क्षतिपूर्ति की राशी

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

भी नही ले रहे है। इसलिए आवेदक आराम से इस रास्ते से आवागमन करता है जिसको ख.न. 98 से रास्ते की कोई आवश्यकता नही है।

अतः जबाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र खारीज किया जावे।

दोनों पक्षो को सुना गया तहसीलदार बुहाना से रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर अनावेदक सं. 1 से 5 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका आवेदकगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं आपत्ति पर बहस सुन कर स्वयं न्यायालय द्वारा मौका देखा गया एवं आपत्ति अस्वीकार कर खारीज की गई उसके बाद बहस सुनी गई आवेदन पत्र व अनावेदक सं. 6 लगायत 11 का इकबालीया जवाब व अनावेदक सं. 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया गांव राजपुरा स्थित भूमि ख.न. 99, 100, 102, 103 के लिए मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा आम रास्ता से सटकर ख.न. 98 स्थित है इसलिए खसरा नम्बर 98 मे से ख..न. 103 तक यदि मुताबिक रिपोर्ट रास्ता कायम किया जाता है तो उक्त सभी खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध होती है उक्त प्रस्तावित रास्ता सबसे सुगम व सरल व नजदीक है अतः आवेदकगण को आवेदन पत्र विरूद्व अनावेदकगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड एवं मौके पर रास्ता कायम किये जाने योग्य है।

— :: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम राजपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 103 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 98, 99, 100, 102 मे से दक्षिणी सीमा के सहारे—सहारे अनुपातिक लम्बाई में एवं 4 मीटर चौडा मुताबिक नजरी नक्शा (प्रदर्श— अ) रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता "गै.मू. रास्ता" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम राजपुरा की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि आवेदकगण से जमा करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाने के बाद रास्ते का सीमांकन एवं मापन कर मौके पर रास्ता कायम करे। जमा राशि होने पर सम्बधित खातेदार को भुगतान करे, एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मू. रास्ता दर्ज करे। रास्ता में आने वाला रकबा रहन मुक्त रहेगा। तहसीलदार रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श —अ निर्णय का भाग रहेगा।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 25/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:06:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)